न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 18/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी हनुमाननगर पश्चिमी ढाणी तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1. तहसीलदार लोहावट

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- प्रार्थी अधिवक्ता श्री जुगल किशोर नाई।

-:: निर्णय :: **दिनांक** 28.06.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व उसके अन्य हिस्सेदारान की सामलाती खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 589 रकबा 15.9041 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591 रकबा 9.6396 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 2. 0234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 661 रकबा 0.7608 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 588/1 रकबा 4.9291 हैक्टेयर सरहद मौजा विष्णुनगर पटवार हल्का जालोड़ा तहसील लोहावट व खसरा नम्बर 748 रकबा 37.7005 हैक्टेयर सरहद मौजा हनुमाननगर, खसरा नम्बर 528 रकबा 7.7942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 528/2 रकबा 0.9065 हैक्टेयर ग्राम घमडाणियो की ढाणी पटवार हल्का लोहावट जाटावास तहसील लोहावट मे स्थित है।

प्रार्थी का सही नाम ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम है प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड व परिचय पत्र, प्रार्थी भारतीय सेना से सेवानिवृत कर्मचारी है सेना के रेकर्ड पेंशन डायरी एवं बैक खातो में भी प्रार्थी का सही नाम ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम दर्ज है लेकिन प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि ग्राम विष्णुनगर के खसरा नम्बर 589 रकबा 15. 9041 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में ईश्राराम व ग्राम विष्णुनगर के खसरा नम्बर 591, 604, 661 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम ईशाराम और विष्णुनगर के खसरा नम्बर 588/1 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयो में ईश्वरराम और हनुमाननगर के खसरा नम्बर 748 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम ईशाराम और घमडाणियो की ढाणी में खसरा नम्बर 528 व 258/2 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयो में प्रार्थी का नाम ईशरराम आदि अलग-अलग दर्ज कर दिये गये जो प्रार्थी के नाम से भूलवंश अलग-अलग दर्ज किये है।

प्रार्थी सही नाम ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम है प्रार्थी का हर जगह यही नाम दर्ज है इसी नाम से प्रार्थी को गांव में घर में व रिश्तेदारी में जानते पुकारते है प्रार्थी का सही नाम ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम है। मै प्रार्थी सेना से सेवानिवृत कर्मचारी हूँ सेना के रिकॉर्ड में व पेशन डायरी आदि में मेरा नाम ईश्वरराम दर्ज है राजस्व रेकर्ड में मेरा उक्त नाम गलत दर्ज होने से मुझे सेना से मिलने वाले सरकारी लाभ भी प्राप्त नही होते है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त भूमि ग्राम विष्णुनगर के खसरा नम्बर 589 में दर्ज प्रार्थी का नाम ईशाराम व खसरा नम्बर 591, 604, 661 में ईशाराम पुत्र पन्नाराम, खसरा नम्बर 588/1 में दर्ज प्रार्थी का ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम, ग्राम हनुमाननगर के खसरा नम्बर 748 में दर्ज प्रार्थी का नाम ईशराराम और ग्राम घमंडाणियो की ढाणी के खसरा नम्बर 528, 528/2 में दर्ज प्रार्थी का नाम ईशराराम दुरस्त कर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार लोहावट को जवाब पेश करने की तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट ने जवाब पेश कर बताया कि ग्राम विष्णुनगर के खसरा नम्बर 589 में दर्ज प्रार्थी का नाम ईशाराम व खसरा नम्बर 591, 604, 661 में ईशाराम पुत्र पन्नाराम, खसरा नम्बर 588/1 में दर्ज प्रार्थी का ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम, ग्राम हनुमाननगर के खसरा नम्बर 748 में दर्ज प्रार्थी का नाम ईशराराम और ग्राम घमंडाणियो की ढाणी के खसरा नम्बर 528, 528/2 में दर्ज प्रार्थी का नाम ईशराराम दुरस्त कर प्रार्थी का नाम ईशाराम आदि अलग-अलग दर्ज कर दिये गये जो प्रार्थी के नाम से भूलवंश अलग-अलग दर्ज किया है जो सही नाम ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम नाम दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।

अधिवक्ता प्रार्थी कि प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। बाद अवलोकन व मनन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम विष्णुनगर के खसरा नम्बर 589 में दर्ज प्रार्थी का नाम ईशराराम व खसरा नम्बर 591, 604, 661 में ईशाराम पुत्र पन्नाराम, खसरा नम्बर 588/1 में दर्ज प्रार्थी का ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम, ग्राम हनुमाननगर के खसरा नम्बर 748 में दर्ज प्रार्थी का नाम ईशराराम और ग्राम घमंडाणियो की ढाणी के खसरा नम्बर 528, 528/2 में प्रार्थी का नाम ईशराराम आदि अलग-अलग दर्ज है जो प्रार्थी का सही नाम ईश्वरराम पुत्र पन्नाराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उक्त शुद्ध नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.06.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लोहावट

Scanned with CamScanner